(वाद सं0– 878/4/36/2023)

11.12.2023

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, खोजैंदा खातुन, द्वारा संस्थित सीतामढ़ी थाना काण्ड संख्या–921/22, दिनांक–19.12.2022 में पुलिस द्वारा बरामद एक अज्ञात शव को परिवादी के तथाकथित मृतक पुत्र का शव होने की संभावना हेतु उसकी पहचान/मिलान हेतु कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

परिवादी का अपने परिवाद पत्र में कथन है कि दिनांक–26.10.2022 को अपराह्न 03 बजें उसका पुत्र एक अज्ञात व्यक्ति के फोन पर बुलाने पर उसका पुत्र, जमशेद अंसारी, मो0 दानिश शेख, की मोटरसाईकिल से उस व्यक्ति से मिलने निकला और उसके बाद से वह वापस नहीं लौटा है। परिवादी का कथन है कि उसके पुत्र, जमशेद असांरी, का विवाह अंगुरी खातुन, के साथ वर्ष–2016 में हुआ था। अंगुरी खातुन, का किसी दुसरे लड़के से अवैध सम्बन्ध रहने के कारण उसने उस लड़के के दबाव में आकर दिनांक–14.06.2021 को परिवादी के पुत्र से स्वेच्छा से तलाक ले लिया, लेकिन तलाक होने के बाद अंगूरी खातुन, का जिस लड़के से सम्बन्ध था, उसने अंगूरी खातुन, से विवाह करने से इंकार कर दिया। तब अंगूरी खातुन, पुनः परिवादी के पुत्र से सम्बन्ध का प्रयास करने लगी।

परिवादी का आगे कथन है कि दिनांक–24.11.2022 को अंगूरी खातुन, के घर से 500 मीटर की दुरी पर एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जिसके बदन पर वह चड्डी दिखाई पड़ रहा था, जो उसके लापता पुत्र का प्रतीत हो रहा था। परिवादी की ओर से दावा किया जा रहा है कि अंगूरी खातुन, के घर से 500 मीटर की दुरी पर बरामद शव उसके पुत्र का ही है, लेकिन पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

उक्त पर **पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी** से प्रतिवेदन की माँग की गयी। पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार, **‘‘परिवादी**

**द्वारा संस्थित सीतामढ़ी थाना काण्ड संख्या–921/22, दिनांक–19.11.2022 में पुलिस द्वारा भा0द0स0 की धारा–363/366/34 के अन्तर्गत अनुसंधानोंपरान्त आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है, जिसमें अप्राथमिकी अभियुक्त, अंगूरी खातुन, तथा प्राथमिकी अभियुक्त, मो0 दानिश शेख, भी शामिल है। पुलिस प्रतिवेदनानुसार, दिनांक–24.11.2022 को चौकीदार द्वारा सूचना दी गयी कि किसी व्यक्ति का मॉँस लगा हड्डी बरियापुर और जबादीपुर के बीच चौरी में धान के खेत में पड़ा है। उक्त सूचना के आधार पर सीतामढ़ी थाना यू0डी0 काण्ड संख्या–11/22, दिनांक–24.11.2022 दर्ज कर, जॉँच प्रारंभ किया जा चुका है तथा न्यायालय के आदेश के आलोक में बरामद हड्डी व मॉँस को विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर का जॉँच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना उचित होगा।''**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मॉँग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि प्रसंगाधीन मामले में पुलिस द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। परिवादी का कथन है कि पुलिस द्वारा बरामद कंकाल की पहचान/मिलान हेतु परिवादी के खून का नमुना लिया जा चुका है, लेकिन अभी तक विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर का जॉँच प्रतिवेदन पुलिस के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका है। परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन मामले में पुलिस अभियुक्तों के मेल में है।

प्रसंगाधीन मामला वर्तमान में न्यायालय के समक्ष लंबित है। पुलिस प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा बरामद मॉँस लगे हड्डी की पहचान/मिलान हेतु दिनांक–25.11.2022 को सैम्पल विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर को भेजा गया है तथा एक वर्ष बीत जाने के बाद भी विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर का प्रतिवेदन पुलिस द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने से परिवादी का काण्ड के अनुसंधान के सम्बन्ध में संशय होना स्वाभाविक है।

अतः उक्त के आलोक में पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी से अनुरोध है कि प्रसंगाधीन मामले में यथाशीघ्र विधि–विज्ञान प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर से विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवेदन (FSL Report) प्राप्त कर

अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे परिवादी को अपने लापता पुत्र के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सकें, जो उसका मानवाधिकार है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामला वर्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग के स्तर से कोई कार्रवाई किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

**कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए इसकी एक प्रति (पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के प्रतिवेदन पृष्ठ 23–11/प0) की प्रति संलग्न कर, तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।**

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

**<u>संयुक्त सचिव</u>**